5/2024

उनवानः— गंगासहाय बनाम नरहरी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

45/2024 दिनांकः— 07.08.2024

पीठासीन अधिकारीः— पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

गंगासहाय पुत्र पितराम मीना
रामस्वरूप पुत्र नत्थू मीना
सियाराम पुत्र नत्थू मीना
निवासीयान खेडी तहसील टोडाभीम जिला करौली।
प्रकाशी पुत्री नत्थू पत्नि भगवानसहाय निवासी शंकरपुर तहसील बालघाट जिला करौली।
बरफी पुत्री नत्थू पत्नि ख्यालीराम निवासी मोहलाई तहसील सिकराय जिला दौसा।

(सायलान)

बनाम

नरहरी पुत्र रामरतन मीना
श्यामलाल पुत्र रामरतन मीना
निवासीयान खेडी तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
उपस्थितिः— श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट (सायलान)

निर्णय दिनांक 03.06.2025

सायलान द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खेडी की जी ख0न0 2931/0.85 है0 सायलान के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात है, जो ो बुजुर्गो से प्राप्त हुई है। उक्त आराजी से किसी दीगर व्यक्ति का कोई संबध कभी नही रहा ाही आज है। गैरसायलान लट्ठ वाले आदमी है, जो सायलान के हिस्से व कब्जे की आराजी छीनना चाहते है तथा काश्त करने मे रूकावट पैदा करते रहते है।

बांका दिनांक 21.7.24 को सायलान अपने कब्जे व खातेदारी की आराजीयात मे खडी ल की देखभाल कर रहे थे कि अचानक गैरसायलान हाथो मे लाठीडण्डा लेकर आराजी पर आ और मॉ बहन की गालिया देकर मारने पर आमदा हो गये और ऐलानिया धमकी दी कि तुम खेत की तरफ मत आना हम इस आरजी पर कब्जा करेगे तथा फसल को हम की काटेगे, अगर ई सामने आया तो हम उसे जिन्दा नही छोडेगे। सायलान को धमकी देकर खेत से भाग दिया लिये यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

सायलान का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है तथा [illegible] सतुलन एवं अपूर्तनीय ति का सिद्वान्त भी सायलान के पक्ष मे है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी [illegible] होने से सायलान को पूर्तनीय क्षति हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नही [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:36:12 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को पाब रमाया जावे कि वे सायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की आरजी ख0न0 2931 रकवा 0.85

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

ग्राम खेडी मे सायलान को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। किसी प्रकार की रूकावट पैदा नही करे मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने आदेशिका पर हस्ताक्षर कर उपस्थिति दर्ज कराई लेकिन दिनांक 03.06.2025 को गैरसायलान व उनके वकील को न्यायालय द्वारा वार–वार आवाज दिलवाये जाने के बावजूद अनुपस्थित न्यायालय रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

सायलान की वादपत्र मे एकपक्षीय बहस सुनी गई। सायलान वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि आराजी ख0न0 2931/0.85 है0 सायलान की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात है, जो उनको बुजुर्गो से प्राप्त हुई है। उक्त आराजी से किसी दीगर व्यक्ति का कोई संबध कभी नही रहा है, नाही आज है। गैरसायलान लट्ठ वाले आदमी है, जो सायलान के हिस्से व कब्जे की आराजी को छीनना चाहते है तथा काश्त करने मे रूकावट पैदा करते रहते है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को पाबन्द फरमाया जावे कि वे सायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की आरजी ख0न0 2931 रकवा 0.85 है0 ग्राम खेडी मे वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। किसी प्रकार की रूकावट पैदा नही करे मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

सायलान वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम ग्राम खेडी की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 मे ख0न0 2931 है0 मे सायलान जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। लेकिन प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड नही होने से तथा नियत तिथ को अनुपस्थित न्यायालय रहने से एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने से व प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थिति दर्ज करवाने के बावजूद पत्रावली मे जबाब पेश नही किया, चुकि सायलान द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने से इस प्रार्थना पत्र को जैरकार रखना उचित प्रतीत नही होने से सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

आदेश

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:36:12 IST
Reason: SelfAttested